

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/378/09 पार्ट-II- /राँची, दिनांक

प्रेषक,

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०-हिनू, राँची।

द्वारा :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- e-Governance के अन्तर्गत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के बढ़े हुए दर पर पारिश्रमिक भुगतान हेतु रु० 16,48,080.00 (रुपये सोलह लाख अड़तालीस हजार अस्सी) मात्र की अतिरिक्त राशि की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

आदेश-स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग में e-Governance के अन्तर्गत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के बढ़े हुए दर पर पारिश्रमिक भुगतान हेतु रु० 16,48,080.00 (रुपये सोलह लाख अड़तालीस हजार अस्सी) मात्र की अतिरिक्त राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. जल संसाधन विभाग में e-Governance के अन्तर्गत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पारिश्रमिक भुगतान एवं विभागीय MIS Cell, Web Information Cell -cum- e-Procurement Cell के रख-रखाव, आवश्यक उपकरणों/ सामाग्रियों के क्रय हेतु रु० 36.3592 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक- 1/पी०एम०सी०/विविध/378/09 पार्ट-II - 12/17-18 प्र०स्वी० दिनांक 25.05.2017 द्वारा प्रदान की गई है।
3. इस प्रशासनिक स्वीकृति में 14 अदद डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पारिश्रमिक भुगतान हेतु रु० 18,190/- की दर से रु० 30,55,920/- का प्रावधान है।
4. योजना -सह- वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 1965/वि० दिनांक 02.06.2017 द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के एकमुश्त/संविदा राशि प्रतिमाह के भुगतान की राशि को पुनरीक्षित कर रु० 28,000/- प्रति माह किया गया है जो दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी है।
5. बढ़े हुए दर पर यह राशि रु० 47,04,000/- (रुपये सैतालीस लाख चार हजार) मात्र आती है, जो पूर्व में स्वीकृत राशि से रु० 16,48,080/- अधिक है।
6. इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूर्ण कर लिया जायगा।
7. इस कार्य पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष -80 - सामान्य, लघु शीर्ष 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष - 70 - ई-गवर्नेन्स विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59- अन्य व्यय के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
8. इस कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

9. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
10. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत रहेगा।
11. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायगा।
12. राज्यादेश के प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
13. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।
14. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो-हिन्, राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/378/09 पार्ट-II- /राँची, दिनांक
प्रतिलिपि :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/प्रधान सचिव, योजना -सह- वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/378/09 पार्ट-II- /राँची, दिनांक
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/378/09 पार्ट-II- /राँची, दिनांक
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/378/09 पार्ट-II- 25/17183/सी.सी. /राँची, दिनांक 06.07.2017
प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (मो०), राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०-3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु /कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के उपस्थिति विवरणी के आधार पर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)
25/7/17